Article 355 of the Constitution of India casts a duty on the Union to protect every State not only against external aggression but also internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. In the discharge of this duty, the Central Government is expected to keep itself posted with respect to goings-on in the States. Visits of Central officials to the States are part of this process. The Central and State Governments have all along been interacting on issues relating to law and order.

Undertrial Prisoners

3897. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of undertrial prisoners in jails in the country who have remained there without actually being convicted for three to four years and even more as on 30th June, 1998; and

(b) the measures Government propose to take to ensure that under trials are speedly given justice?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) According to available information, there were 1,80,000 undertrial prisoners in the country as on 31.12.1997. Detailed information regarding the period spent by them in jails is not maintained at the Central level.

(b) Even though 'Prisons' is a State subject as per the Seventh Schedule to the Constitution of India, the Central Government, during its interaction with the State Governments, has been stressing upon them the need for speedy disposal of cases involving undertrial prisoners. The suggestions made in this regard include summary trials of petty offences, establishment of special courts in jails and setting up of committees comprising representatives of the Judiciary, Police and Revenue Department to review the cases involving undertrial prisoners.

राज्यों की "टाडा" बन्दियों संबंधी पुनरीक्षा समिति

3898. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार "टाडा" के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों की रिहाई के लिए पुनरीक्षा समितियों का गठन किया गया है;

(ख) इन पुनरीक्षा समितियों की सिफारिशों पर अब तक राज्य-वार कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन पुनरीक्षा समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मामलों के गुण-दोष के आधार पर ऐसे कैदियों को रिहा करने के संबंध में राज्य सरकारों हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय देश में "टाडा" के अन्तर्गत कितने व्यक्ति जेलों में बन्द हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, टाडा लागू करने वाले सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में टाडा के मामलों की पुनरीक्षा करने हेतु पुनरीक्षा समितियां गठित की गयी हैं। इन राज्यों के नाम तथा पुनरीक्षा करने के बाद जिन व्यक्तियों के खिलाफ टाडा के प्रावधानों को वापस ले लिया गया उनकी संख्या का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। *(नीचे देखिए)*

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लंबित टाडा के मामलों की पुनरीक्षा राज्य पुनरीक्षा समितियों और केन्द्रीय पुनरीक्षा समिति द्वारा की गई है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, पुनरीक्षा किए जाने के बाद 23862 व्यक्तियों के खिलाफ टाडा के आरोपों को वापस ले लिया गया है। शेष बचे अधिकांश मामले, आतंकवाद के गंभीर अपराधों से संबंधित हैं। अतः लंबित पड़े इन टाडा मामलों को वापस लेना, जनहित में नहीं होगा।

(ङ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, 1094 व्यक्ति निरुद्ध हैं।

विवरण

उन राज्यों, जिनमें टाडा पुनरीक्षण समितियां गठित की गई हैं तथा उन व्यक्तियों जिनके खिलाफ टाडा प्रावधानों को वापस लिया गया है, के ब्यौरे का विवरण।

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	पुनरीक्षा के उपरान्त जिन व्यक्तियों को वापस लिया गया है, उनकी संख्या
1.	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,378
2.	अरुणाचल प्रदेश	उ०न०*
3.	असम	754
4.	बिहार	उ०न०
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	10,327
7.	हरियाणा	158
8.	हिमाचल प्रदेश	स०न०
9.	जम्मू व कश्मीर	उ०न०
10.	कर्नाटक	51
11.	महाराष्ट्र	684
12.	मध्य प्रदेश	449
13.	मणिपुर	110
14.	मेघालय	उ०न०
15.	पंजाब	216
16.	राजस्थान	उ०न०
17.	तमिलनाडु	उ०न०
18.	उत्तर प्रदेश	4
19.	पश्चिम बंगाल	—
20.	चंडीगढ़ प्रशासन	8
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	223
	कुल	23,862

*

राष्ट्रीय पुलिस/कारावास नीति

3899. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कोई राष्ट्रीय पुलिस और कारावास नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त नीति की किन-किन बातों को कार्यान्वित किया गया है;

(घ) क्या इसके कार्यान्वयन में किन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रणाली के व्यापक पुनरीक्षण के लिए नवम्बर, 1977 में एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की थी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को उन पर विचार करने और समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया था। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करती रही है कि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाये।

2. उच्चतम न्यायालय द्वारा 6.5.98 को जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों का पुनरीक्षण करने और लम्बित सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए तौर-तरीके सुझाने के लिए 25.5.98 को श्री जे० एफ० रिबेरी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

3. जहां तक जेलों का संबंध है, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 4 के अनुसार यह भी राज्य का विषय है। यह राज्यों का उत्तरदायित्व है कि विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी लाना, जेलों की हालात में सुधार करना और जेलों के सुधारात्मक पहलुओं पर जोर देने के लिए आवश्यक नीति और कूटनीति इजाद करे। केन्द्र सरकार अपनी तरफ से जेलों से जुड़े उपर्युक्त पहलुओं की आवश्यकता पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को केवल सलाह ही नहीं दे रही है बल्कि कैदियों के रहन-सहन के हालात में सुधार करने और जेलों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध